



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17042023-245209
CG-DL-E-17042023-245209

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1682]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 2023/चैत्र 27, 1945

No. 1682]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2023/CHAITRA 27, 1945

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2023

का.आ. 1762(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1262(अ.), तारीख 17 मार्च, 2023 और का.आ. 1263(अ.), तारीख 17 मार्च, 2023 द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप धारा (1) और (2), तथा उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (1) और (2) के उपबंधों के अधीन धारा 12 के अंतर्गत स्वयं द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाली शक्तियां क्रमशः उक्त अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को प्रत्यायोजित की हैं;

और उक्त अधिसूचनाओं को जारी करने के परिणामस्वरूप, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1936 (अ.), तारीख 10 जून, 2019 अनावश्यक हो जाती है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1936(अ.), तारीख 10 जून, 2019 को जिसे ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[सं. एस-11025/02/2023-आईआर(पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th April, 2023

S.O. 1762(E).—Whereas the Central Government *vide* notifications of the Government of India in Ministry of Labour and Employment numbers S.O. 1262(E), dated the 17th March, 2023 and S.O. 1263(E), dated the 17th March, 2023, delegated the powers exercisable by it under sub-sections (1) and (2) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), and section 12 subject to the provisions of sub-sections (1) and (2) of section 10, of the said Act, respectively, to the officers specified in the said notifications;

And whereas, consequent upon issuance of the said notifications, the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1936(E), dated the 10th June, 2019 has become redundant;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 39 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1936(E), dated the 10th June, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[No. S-11025/02/2023- IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.